न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 189 / 2019 **दायर दिनांकः 23.12.2019**

उनवान

1. कमला बाई आयु 60 वर्ष पत्नी बद्री उर्फ बद्रीदास जाति बैरागी निवासी लोलाहेडी तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर0टी0एक्ट

उपस्थितिः—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री मोहन लाल नागर।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक 20.03.2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 91 आर टी एक्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल लोलाहेडी तहसील अटरू जिला बारां राज0 में पुरानी खाता संख्या 58 की ख0नं0 179 का रकबा 4 बीघा एवं पुरानी खाता संख्या 109 ग्राम एवं माल आमापुरा की ख0नं0 315 मि0 रकबा 1 बीघा आराजी वादिया के पति बद्रीलाल उर्फ बद्रीदास के खाते में स्थित है जिस पर वादिया काबिज काश्त करती चली आ रही है। जिसके बाद सेटलमेन्ट नवीन ख0नं0 एवं रकबा निम्न प्रकार बनाया हैः— खाता सं0 58 की सबिक ख0नं0 179 का रकबा 4 बीघा का नया ख0नं0 87 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 101 का रकबा 0.06 है0, ख0नं0 102 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 103 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 104 की 0.41 है0, ख0नं0 105 का रकबा 0.17 है0 बनाये गये है तथा पुरानी खाता संख्या 109 की ख0नं0 315 का रकबा 1 बीधा के नवीन ख0नं0 142 का रकबा 0.51 है0, दर्ज किया गया है जमाबन्दी पुरानी एवं नवीन काबिल गौर है। सेटलमेन्ट के कर्मचारीगण ने बिना जांच पडताल किये अपूर्ण पैमाईश करके जानबूझ कर गैर कानूनी रूप से वादी के खाते में से 0.25 है0 आराजी कम करके नवीन ख0नं0 104 रकबा 0.41 है0 काबिल काश्त सिवायचक एवं ख0नं0 105 रकबा 0.17 है0 सिवायचक

नाकाबिल काश्त गै0मु0 रास्ता दर्ज कर किस्म परिवर्तन करदी जबकि ख0नं0 104 का रकबा 0.41 है0 में से 0.25 है0 आराजी वादिया के खाते दर्ज होनी चाहिए थी क्योंकि पुराने ख0नं0 179 रकबा 4 बीघा के अनुसार वादिया के नवीन रकबा 0.64 है0 होता है जिसको नवीन ख0नं0 87 का रकबा 0.22 है0, ख0नं0 101 का रकबा 0.06 है0, ख0नं0 102 का रकबा 0.01 है0, 103 का रकबा 0.10 है0, कुल 4 किता का रकबा 0.39 है0 दर्ज कर 0.25 है0 भूमि का रकबा कम करके वादिया के खाते दर्ज करदी गई जबकि वादिया के खाते में कुल रकबा 0.64 है0 आराजी दर्ज होनी चाहिए थी। इस तरह से ख0नं0 315 साबिक रकबा 1 बीघा का नवीन ख0नं0 142 का रकबा 0.51 है0 बना कर सिवायचक दर्ज कर दिया है। जबकि वादिया के खाते में पुराने रकबे के अनुसार 0.16 है0 भूमि दर्ज होनी चाहिए थी। परन्तु नवीन ख0नं0 142 रकबा 0.51 है0 में मिला कर खाता राज दर्ज करदी जिसका वादिया इन्द्राज दुरूस्त करवा कर यह घोषणा कराने की अधिकारी है कि ख0नं0 142 का रकबा 0.51 है0 में से 0.16 है0 आराजी के नवीन ख0नं0 बना कर वादिया के खाते दर्ज किया जावें। इसी प्रकार वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि ख0नं0 104 का रकबा 0.41 है0 में से 0.08 है0, ख0नं0 105 का रकबा 0.17 है0 जो गै0 मु0 रास्ता दर्ज है। को इन्द्राज दुरूस्त करवा कर 4 बीघा के रकबा के बराबर 0.64 है0 आराजी वादिया के खाते दर्ज होनी चाहिए थी वर्तमान 0.39 है0 मे ख0नं0 104 की 0.41 है0 में से 0.25 है0 के नवीन ख0नं0 बना कर वादिया के खाते दर्ज किये जाने की घोषणा करा पाने की अधिकारी है। इस हेतु यह वाद पेश किया गया है। जिसे बिना सहायता के किया जाना सम्भव नही है। प्रतिवादी को धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस मियादी दो माह दिनांक 13.10.2009 को प्रेषित कर दिया गया है लेकिन नोटिस की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी आज तक उक्त प्रकार से इन्द्राज दुरूस्त नही किया गया है। इस प्रकार वाद कारण दिनांक 13.10.2009 को रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित करने एवं नोटिस की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी इन्द्राज दुरूस्त नही करने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षैत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी एवं पक्षकारान तहसील क्षैत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के अनुसार उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं।

अतः माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वादिया विनयी है कि डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमाई जावें कि–

(अ) इन्द्राज दुरूस्त करके वाके माल लोलाहेडी का नवीन ख0नं0 104 का रकबा 0.41 है0 में से 0.25 है0 कम करके नवीन ख0नं0 बना कर वादिया के खाते दर्ज किया जावें। इसी प्रकार इन्द्राज दुरूस्त कर ग्राम माल आमापुरा के नवीन ख0नं0 142 का रकबा 0.51 है0 में से 0.16 है0 आराजी जो पुराने रकबा 1 बीघा के बराबर है वादिया के खाते दर्ज किया जावें तथा इसका राजस्व रिकार्ड मे अमल दर्ज किया जावें इस हेतु प्रतिवादी को आदेश दिया जावें।

(ब) यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादिया को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की की गई, प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि चरण सं0 1 अस्वीकार है। वाद पत्र में वादी की ओर से ग्राम लोलाहेडी एवं आमापुरा की आराजी सेटलमेन्ट के समय में गलत रूप से रिकार्ड तैयारी होना बताते हुये चरण की रचना की गयी है। तहसील हाजा का सेटलमेन्ट वादी को कच्चे पट्टे तैयार करते समय एवं पक्के पट्टे तैयार करते समय सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर दिया गया था। लेकिन प्रार्थी ने लापरवाही से अपने रिकार्ड पर ध्यान नही दिया। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा अजअसरे नौ पैमायश की तथा रिकार्ड तैयार किया। अतः अब दावा किया स्वीकार नही है। चरण संख्या 2 अस्वीकार है। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा सही कार्यवाही की गयी है। सिवायचक रकबे में से प्रार्थी का अधिकार इतनें वर्षो बाद अपना हक बताया जाना स्वीकार नही है। चरण संख्या 3 अस्वीकार है। चरण संख्या 4 अस्वीकार है। चरण संख्या 5 अस्वीकार है। चरण संख्या 6 अस्वीकार है। चरण संख्या 7 का सम्बन्ध माननीय न्यायालय से सम्बन्धित है। चरण संख्या 8 का सम्बन्ध माननीय न्यायालय से सम्बन्धित है।

अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रस्तुत वाद को तथ्यों पर आधारित नही होने से खारिज फरमाने की कृपा करें।

दावे व जवाब दावे के आधार पर निम्न लिखित तनकीयात कायम की गईः–

तनकी सं0–01. आया माल लोलाहेडी तहसील अटरू में वादिया के पति बद्रीलाल उर्फ धुलीदास के खाते मे पुराने खाता संख्या 58 की ख0नं0 179 का रकबा 4 बीधा व खाता संख्या 109 ग्राम आमपुरा की ख0नं0 315 रकबा 1 बीघा खाते दर्ज थी।

(भा.सं0 वादिया)

तनकी सं0–02. आया सेटलमेन्ट द्वारा पुराने ख0नं0 179 के नये नम्बर ख0नं0 87 रकबा 0.22 है0 ख0नं0 101 रकबा 0.06 है0 ख0नं0 102 रकबा 0.01 है0 ख0नं0 103 रकबा 0.10 है0 ख0नं0 104 रकबा 0.41 है0 ख0नं0 105 रकबा 0.17 है0 पुराने ख0नं0 315 के ख0नं0 142 रकबा 0.51 है0 दर्ज किए है।

(भा.सं0 वादिया)

तनकी सं0–03 आया सेटलमेन्ट द्वारा गैर कानूनी रूप से माल लोलाहेडी में वादिया के खाते 0. 25 है0 आराजी कम दर्ज करके ख0नं0 105 व 104 में मिलाकर सिवायचक काबिल काश्त तथा ख0नं0 315 की 1 बिघा आराजी माल आमापुरा की ख0नं0 142 में मिलाकर सिवायचक दर्ज कर दिया ।

(भा.सं0 वादिया)

तनकी सं0 – 04 आया वादिया इन्द्राज दुरूस्त करवाकर माल लोलाहेडी के ख0नं0 104 में से 0. 08 है0 एवं ख0नं0 105 का रकबा 0.17 है0 व माल आमापुरा के ख0नं0 142 रकबा 0.51 है0 में से 0.16 है0 आराजी वादिया अपने खाते दर्ज करवाने की अधिकारी है।

(भा.सं0 वादिया)

तनकी सं0–05 आया वादीया को रिकॉर्ड से साबित करना है।

(भा.सं0 वादिया)

साक्ष्यवादी के तहत् PW_1 का शपथ पेश किये तथा रिकार्ड EXP करवाया गया।

तहसीलदार अटरू से कब्जे काश्त बाबत् रिपोर्ट ली गई तहसीलदार अटरू द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 26.02.2016 में कथन किया गया कि ग्राम लोलाहेडी के ख0नं0 104 का रकबा 0.41 व ख0नं0 105 का रकबा 0.17 पर पहुंचा ख0नं0 105 रकबा 0.17 पर मौके पर रास्ता बना हुआ है। व रिकार्ड में भी रास्ता दर्ज है। तथा ख0नं0 104 का रकबा 0.41 है0 कमलाबाई के कब्जे काश्त में है। जिस पर कमला बाई के पुत्रों ने फसल कर रखी है। ख0नं0 104 का रकबा 0.41 है0 वर्षो से कमला बाई के कब्जें में चला आ रहा है। व ग्राम आमापुरा के ख0नं0 142 का रकबा 0.51 है0 पर पहुंचा जिसमें ख0नं0 315/142 का रकबा 0.40 है0 भूमि

राजवन्ती पत्नी प्रेमचन्द्र जाति मीणा निवासी आमापुरा के खाते दर्ज है। शेष ख0नं0 142 रकबा 0.11 है0 भूमि भी राजवन्ती पत्नी प्रेमचन्द्र के कब्जे काश्त में है।

उभय पक्षकार की बहस सुनी अभिभाषक वादीगण द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओ को दोहराया तथा कथन किया गया कि माल लोलाहेडी का नवीन ख0नं0 104 का रकबा 0.41 है0 में से 0.25 है0 कम करके नवीन ख0नं0 बनाकर वादिया के खाते दर्ज किया जावें। नवीन ख0नं0 142 का रकबा 0.51 है0 में से 0.16 है0 आराजी पुराने रकबा 1 बीधा के बराबर वादिया के खाते दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया विवादित आराजी ग्राम लोलाहेडी की जमाबन्दी 2036 से 40 खाता संख्या 58 ख0नं0 155 की 3 बीघा ख0नं0 179 रकबा 4 बीघा किता 2 रकबा 7 बीघा बद्रीलाल बल्द धूलीलाल के खाते दर्ज है। व पुराने खाता सं0 109 ग्राम आमापुरा की ख0नं0 315 रकबा 1 बीधा बद्रीलाल उर्फ बद्रीदास के खाते दर्ज है। जो वादिया के पति है उक्त भूमि पर वादिया काश्त करती चली आ रही है। जिसके बाद सेटलमेन्ट खाता सं0 58 के साबिक नं0 179 रकबा 4 बीघा का नया ख0नं0 87 रकबा 0.22 है0 ख0नं0 101 रकबा 0.06 है0 ख0नं0 102 रकबा 0.01 है0 ख0नं0 103 रकबा 0.10 है0 ख0नं0 104 रकबा 0.41 है0 ख0नं0 105 का रकबा 0.17 है0 बनाये गये है, तथा पुरानी खाता संख्या 109 की ख0नं0 315 का रकबा 1 बीघा के नवीन ख0नं0 142 रकबा 0.51 है0 दर्ज किया गया है।

वादी के खाते में से 0.25 है0 आराजी कम करके नवीन ख0नं0 104 रकबा 0.41 है0 काबिल काश्त सिवायचक एवं ख0नं0 105 रकबा 0.17 है0 सिवायचक नाकाबिल काश्त गै0 मु0 रास्ता दर्ज कर किस्म परिवर्तन करदी जबकि ख0नं0 104 रकबा 0.41 है0 में से 0.25 है0 आराजी वादीया के खाते दर्ज होनी चाहिये थी क्योंकि ख0नं0 179 रकबा 4 बीघा के अनुसार वादिया के नवीन रकबा 0.64 है0 होता है जिसको ख0नं0 87 करबा 0.22 है0 ख0नं0 101 रकबा 0.06 है0 ख0नं0 102 रकबा 0.01 है0 ख0नं0 103 का रकबा 0.10 हे0 कुल किता 4 का रकबा 0.39 है0 दर्ज कर 0.25 है0 भूमि का रकबा कम करके वादिया के खाते दर्ज कर दी गई, जबकि वादिया के खाते में कुल रकबा 0.64 है0 आराजी दर्ज होनी चाहिये थी। इसी तरह ख0नं0 315 साबिक रकबा 1 बीघा नवीन ख0नं0 142 रकबा 0.51 है0 बना कर सिवायचक दर्ज कर दिया गया है। जबकि वादिया के पुराने रकबे के अनुसार 0.16 है0 भूमि दर्ज होनी चाहिये थी। परन्तु नवीन ख0नं0 142 रकबा 0.51 है0 में मिला कर खाता राज दर्ज कर दी गई।

प्रकरण का तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता हैः–

तनकी सं0–01. आया माल लोलाहेडी तहसील अटरू में वादिया के पति बद्रीलाल उर्फ धुलीदास के खाते मे पुराने खाता संख्या 58 की ख0नं0 179 का रकबा 4 बीधा व खाता संख्या 109 ग्राम आमपुरा की ख0नं0 315 रकबा 1 बीघा खाते दर्ज थी। इस तनकी को साबित करने का भार वादिया पर था वादिया द्वारा वाद में जमाबन्दी 2036 से 2040 प्रस्तुत रिकार्ड खाता संख्या 58 व खाता सं0 109 की नकल जमाबन्दी पेश की है, उक्त भूमि वादिया के पति बद्रीलाल उर्फ धुलीदास के खाते में दर्ज है, जो प्रदर्श पी01 है0 प्रदर्श 4 है।

अतः तनकी नं0 1 वादिया के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं0–02. आया सेटलमेन्ट द्वारा पुराने ख0नं0 179 के नये नम्बर ख0नं0 87 रकबा 0.22 है0 ख0नं0 101 रकबा 0.06 है0 ख0नं0 102 रकबा 0.01 है0 ख0नं0 103 रकबा 0.10 है0 ख0नं0 104 रकबा 0.41 है0 ख0नं0 105 रकबा 0.17 है0 पुराने ख0नं0 315 के ख0नं0 142 रकबा 0.51 है0 दर्ज किए है। इस तनकी को साबित करने का भार वादिया पर था जो खसरा मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 8 पेश किया है। जिससे पुराने ख0नं0 से नये ख0नं0 बनना प्रमाणित है। अतः तनकी नं0 2 वादिया के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

तनकी सं0–03 आया सेटलमेन्ट धारा गैर कानूनी रूप से माल लोलाहेडी में वादिया के खाते 0. 25 है0 आराजी कम दर्ज करके ख0नं0 105 व 104 में मिलाकर सिवायचक काबिल काश्त तथा ख0नं0 315 की 1 बिघा आराजी माल आमापुरा की ख0नं0 142 में मिलाकर सिवायचक दर्ज कर दिया। इस तनकी को साबित करने का भार वादिया पर था नकल जमाबन्दी ग्राम लोलाहेड़ी संवत् 2036 से 2040 प्रदर्श पी 4 पेश की है जिसमें ख0नं0 179 की 4 बीघा वादिया के पति बद्रीलाल के खाते में दर्ज है। एवं ग्राम आमापुरा की ख0नं0 315 की 1 बीघा वादिया के खाते में दर्ज है, जो नये ख0नं0 87 रकबा 0.22 है0 ख0नं0 101 रकबा 0.06 है0 ख0नं0 102 की 0.01 है0 ख0नं0 103 की रकबा 0.10 है0 कुल 4 किता की 0.39 है0 भूमि वादिया के खाते दर्ज है, जबकि पुराने ख0नं0 4 बीघा अनुसार 0.64 है0 भूमि दर्ज होना चाहिये था जो पुराने रकबे से 0. 25 है0 भूमि कम है। जिसे मुताबिक मिलान क्षैत्रफल एवं पटवार हल्का की रिपोर्ट के अनुसार ख0नं0 104 रकबा 0.41 है0 में मिलाकर सिवायचक दर्ज कर दिया ओर इसी प्रकार ख0नं0 315 की 1 बीघा के नये ख0नं0 142 बनाकर सिवायचक दर्ज कर दिया गया मुताबिक रिकार्ड तनकी नं0 3 वादिया के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं0 – 04 आया वादिया इन्द्राज दुरूस्त करवाकर माल लोलाहेडी के ख0नं0 104 में से 0.08 है0 एवं ख0नं0 105 का रकबा 0.17 है0 व माल आमापुरा के ख0नं0 142 रकबा 0.51 है0 में से 0.16 है0 आराजी वादिया अपने खाते दर्ज करवाने की अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादिया पर था प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर साबित होता है कि माल लोलाहेडी की ख0नं0 104 में से 0.25 है0 आराजी कम करके वादिया के खाते दर्ज करवाने की अधिकारी है, परन्तु माल आमापुरा की ख0नं0 142 रकबा 0.51 है0 में से 0.16 है0 आराजी वादिया के खाते दर्ज नही की जा सकती है क्योंकि मुताबिक मौका रिपोर्ट पटवार हल्का के अनुसार इस ख0नं0 पर वादिया का कब्जा काश्त नही है क्योंकि यह भूमि राजवन्ती पत्नि प्रेमचन्द के खातेदारी में दर्ज है। अतः तनकी नं0 4 आंशिक रूप से वादिया के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं0–05 आया वादीया को रिकॉर्ड से साबित करना है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था जो वादिया द्वारा राजस्व रिकार्ड से भलिभांति प्रमाणित होता है। अतः तनकी नं0 5 विरूद्ध प्रतिवादी वादिया के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादिया का वाद आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादिया का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम लोलाहेडी की ख0नं0 104 रकबा 0.41 है0 सिवायचक काबिल काश्त मे से 0.25 है0 आराजी कम की जाकर वादिया के खाते नवीन ख0नं0 बनाकर दर्ज की जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

प्राथमिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 189/2019

उनवान

1. कमला बाई आयु 60 वर्ष पत्नी बद्री उर्फ बद्रीदास जाति बैरागी निवासी लोलाहेडी तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, आर0टी0एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....

बहाजिर :–
वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री मोहन लाल नागर।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम लोलाहेडी की ख0नं0 104 रकबा 0.41 है0 सिवायचक काबिल काश्त मे से 0.25 है0 आराजी कम की जाकर वादिया के खाते नवीन ख0नं0 बनाकर दर्ज की जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 20.03.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.04.02 13:17:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: